Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *17 मई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज टोंक में कार्यवाही करते हुये **शंकरलाल सहायक उप निरीक्षक महिला थाना टोंक** को परिवादी से **15 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी पत्नी द्वारा मेरे व परिवारवालों के खिलाफ महिला थाना टोंक में पेश किये गये परिवाद का निस्तारण करने की एवज में शंकरलाल सहायक उप निरीक्षक महिला थाना टोंक द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीना** के सुपरवीजन में एसीबी की कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया जाने पर आरोपी **15 हजार रूपये** लेने पर सहमत हुआ। जिस पर आज **श्री ताराचंद उप अधीक्षक पुलिस** मय **श्रीमती चंद्र कंवर पुलिस निरीक्षक, श्री देशराज पुलिस निरीक्षक** व टीम ने टोंक में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी **शंकरलाल सहायक उप निरीक्षक महिला थाना टोंक** को परिवादी से **15 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीना के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है।एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**